२५/५/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक ७/७/२५ को पेश हो

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, [illegible]

७/७/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक २२/७/२५ को पेश हो

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, [illegible]

२२/७/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. ②, ④ ⑦ की ओर से विनोद चौधरी हाजिर। शेष अप्रार्थीगण को सम्मन जरिए डाक से भेजे एक माह से अधिक समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए है। अतः तामील सम्यक मानी जाती है।

सम्यक तामील के उप. अप्रार्थीगण ①, ③, ⑤, ⑥, ⑧, ⑨, ७ के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

बहस प्रा. पत्र पर उभयपक्षों की सुनी। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वस्तु को कायम रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण सं. ② में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

पत्रावली जेरे बहस हेतु दर्ज नम्बर से पेश हो

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, [illegible]